2005:सीजीएचसी:2819

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
एकल बेंच : माननीय श्री न्यायमूर्ति विजय कुमार श्रीवास्तव
रिट याचिका संख्या 1858/2004

याचिकाकर्ता :– मेसर्स वैधन इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय – प्लॉट क्रमांक 54 और 56, उद्योग दीप, औद्योगिक एस्टेट, डाकघर – वैधन, जिला – सीधी (म.प्र.) ।

बनाम

प्रतिवादी :– 1) सचिव के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड, डगनिया, रायपुर (छ.ग.) ।
2) अधीक्षण अभियंता (क्रय एवं निर्माण), एचटीपीएस, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड, कोरबा (पश्चिम), जिला कोरबा (छ.ग.)।
3) मेसर्स थेजो इंजीनियरिंग एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई (तमिलनाडु)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : श्री एन.एस. काले, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री कपिल पटवर्धन ।
प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के अधिवक्ता : श्री प्रशांत मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री एच.एस. पटेल ।
प्रतिवादी क्रमांक 3 के अधिवक्ता : श्री एन.के. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री कमरुल अज़ीज़ ।

आदेश
(15 जून, 2005 को पारित)

1) इस याचिका के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी क्रमांक 1, बोर्ड के निर्णय को निरस्त करने के लिए एक रिट जारी करने की प्रार्थना की है, जिसमें सीएसईबी के कोरबा पश्चिम और पूर्व थर्मल पावर स्टेशनों के संबंध में कन्वेयर बेल्ट जोड़ने, बेल्टों को बदलने, कन्वेयर पुली पर रबर लैगिंग, बेल्टों के अनुदैर्ध्य जोड़ने और स्पॉट पैच मरम्मत और अन्य कन्वेयर कार्य (ठंडी वल्केनाइजिंग प्रक्रिया द्वारा) को तीन साल की अवधि के लिए फिर से निविदा देने (इसके बाद से "आक्षेपित कार्य") और प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 को प्रस्ताव/मूल्य बोली पर विचार करने और याचिकाकर्ता को आक्षेपित कार्य देने का आदेश देने के लिए एक रिट जारी करने के लिए कहा गया है।
2) याचिका में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता मेसर्स वैधन इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कन्वेयर बेल्ट जोड़ने, बेल्ट बदलने, रबर लैगिंग आदि का कार्य करती है तथा मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोरबा; शक्ति नगर, विंध्य नगर; रिहंद नगर, एटीपीएस अनपरा (यूपी); नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली तथा कुछ अन्य बड़े संगठनों के

साथ–साथ भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई में भी इस तरह की गतिविधियां संचालित कर रही है। प्रतिवादी क्रमांक 1 छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत आपूर्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित एक राज्य विद्युत बोर्ड है और छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन और आपूर्ति में लगा हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक 2 प्रतिवादी क्रमांक 1 का अधीक्षण अभियंता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दिनांक 08/09/2003 को निविदा आमंत्रण नोटिस जारी किया, जिसमें आक्षेपित कार्य को सौंपने के लिए दिनांक 08/09/2003 की निविदा विनिर्देश के लिए अनुभवी ठेकेदारों से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की गईं और निविदा प्रस्तुत करने की नियत तिथि 14/10/2003 थी। याचिकाकर्ता ने निविदा में भाग लेने के लिए निविदा दस्तावेजों के अनुदान के लिए आवेदन किया और 1,000/– रुपये जमा किए। याचिकाकर्ता ने योग्यता शर्तों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद निविदा फॉर्म प्राप्त किए। निविदा शर्तों के खंड 3 में निविदा/बोलियों पर बोलियों को तीन भागों में प्रस्तुत करने का प्रावधान है, अर्थात भाग 1 बयाना राशि जमा, भाग 2 तकनीकी वाणिज्यिक बोली और भाग 3 मूल्य बोली। याचिकाकर्ता भाग 1 और 2 को पूरा करने में सफल रहा, इसलिए, भाग 3 के खुलने की तारीख याचिकाकर्ता को फैक्स संदेश द्वारा अधिसूचित की गई थी, जिसमें बताया गया था कि उक्त निविदा की मूल्य बोली 20/02/2004 को खोली जाएगी और 20/02/2004 को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधियों के साथ–साथ प्रतिवादी क्रमांक 3 की उपस्थिति में मूल्य बोली खोली गई थी। प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा उद्धृत मूल्य बोली के अनुसार कुल अनुबंध राशि 224.13 लाख रुपए है, जबकि याचिकाकर्ता की मूल्य बोली के अनुसार कुल अनुबंध राशि 181.83 लाख रुपए थी। प्रतिवादी क्रमांक 2 ने न्यूनतम मूल्य के आधार पर तुलनात्मक चार्ट तैयार किया और प्रतिवादी क्रमांक 1/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड को याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3) प्रतिवादी क्रमांक 1, जो न्यूनतम बोली को स्वीकार न करने का कोई कारण बताए बिना, उपयुक्त निविदाकर्ता को अनुबंध देने का निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, ने उस प्रस्ताव को इस निर्देश के साथ वापस कर दिया कि आक्षेपित कार्य के लिए पुनः निविदा की जाए। यद्यपि न्यूनतम या किसी अन्य निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को सदैव उपलब्ध है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए सिद्धांत की अनदेखी नहीं की जा सकती है और इस शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद प्रतिवादी क्रमांक 1/बोर्ड ने इस तथ्य पर विचार किए बिना, कि पुनः निविदा जारी करने से सरकारी खजाने को 42 लाख रुपए का नुकसान होगा, पुनः निविदा जारी करने का निर्देश दिया । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 3 वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक 1 के साथ समान प्रकार का कार्य कर रहा है और प्रतिवादी क्रमांक 1 उक्त अनुबंध प्रतिवादी क्रमांक 3 को देना चाहता था, लेकिन याचिकाकर्ता की उपयुक्तता और प्रतिवादी क्रमांक 3 के पक्ष में कीमत में अंतर को देखते हुए, उसने आक्षेपित कार्य के लिए पुनः निविदा जारी करने का निर्देश दिया।

4) प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 ने याचिका की वैधता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई और यह भी कहा कि यद्यपि याचिकाकर्ता की बोली खोली गई थी, लेकिन शीर्ष स्तर पर उच्चतम निर्णय लेने वाले प्राधिकारी द्वारा बारीकी से जांच करने पर यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के पास पूर्व–योग्यता आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित अनुभव नहीं है और उसने ठंडी वल्केनाइजिंग प्रक्रिया द्वारा कन्वेयर बेल्ट जोड़ने, बेल्ट बदलने, रबर लैगिंग आदि का कार्य करने का प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि निविदा आमंत्रित करने वाला नोटिस ठंडी वल्केनाइजिंग प्रक्रिया द्वारा कन्वेयर बेल्ट जोड़ने, बेल्ट बदलने, रबर लैगिंग आदि का कार्य करने के लिए था, न कि गर्म वल्केनाइजिंग प्रक्रिया से, जब कि याचिकाकर्ता द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्काल निविदा में निर्दिष्ट कार्य के दायरे के संबंध में प्रस्तुत सूची/विवरण से पता चलता है कि वांछित पूर्व–योग्यता आवश्यकता 1.50 करोड़ रुपये के विरुद्ध केवल 63,41,996 रुपये है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 22/01/2003 के आदेश के अनुसार मेसर्स नॉर्दर्न कोलफील्ड्स

लिमिटेड के साथ बेल्टों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए मद दर के आधार पर दर अनुबंध के लिए आशय पत्र की प्रति की जांच करने पर यह पाया गया कि मेसर्स नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए दिया गया आदेश थ्रू कट के साथ स्टील कॉर्ड बेल्टों की मरम्मत/पुनर्निर्माण, थ्रू कट के साथ गर्म वल्केनाइजिंग द्वारा क्षतिग्रस्त नायलॉन कन्वेयर बेल्ट की मरम्मत आदि के लिए है, जिसमें गर्म प्रोसेसिंग शामिल है, जबकि विवादित निविदा ठंडी वल्केनाइजिंग प्रक्रिया द्वारा कन्वेयर बेल्ट जोड़ने, बेल्ट को बदलने, पुली पर रबर लैगिंग, पैचिंग, अनुदैर्ध्य जोड़ने आदि के कार्य के लिए आमंत्रित की गई थी। उपरोक्त तथ्यों पर, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता तत्काल मामले में भाग लेने के लिए पात्र नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता का प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने योग्य था।

5) आगे यह भी कहा गया है कि थर्मल पावर स्टेशन में कन्वेयर बेल्ट को जोड़ने, बेल्ट को बदलने, रबर लैगिंग आदि का कार्य बहुत ही संवेदनशील प्रकृति का कार्य है और कन्वेयर बेल्ट के निर्बाध और सुचारू संचालन के लिए साइट पर ही जोड़ने, बदलने और रबर लैगिंग की प्रक्रिया द्वारा नियमित रखरखाव अत्यंत आवश्यक है और यह केवल ठंडी वल्केनाइजिंग प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। गर्म वल्केनाइजिंग प्रक्रिया में, साइट पर मरम्मत में अधिक समय लगता है और ठंडी वल्केनाइजिंग प्रक्रिया की तुलना में तीन गुना समय अवधि के लिए अनिवार्य शटडाउन की आवश्यकता होती है, इसलिए, जिस व्यक्ति के पास ठंडी वल्केनाइजिंग प्रक्रिया में अपेक्षित अनुभव नहीं है, वह निविदा आमंत्रण सूचना में अपेक्षित सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6) इसलिए, बोर्ड, जिसमें विशेषज्ञ शामिल हैं, ने अपने विवेक से, अपनी विद्युत उत्पादन इकाइयों के हित में निविदा को छोड़ना उचित समझा और तदनुसार बोर्ड के शीर्ष स्तर पर 12/08/2004 को पुनः निविदा का अंतिम निर्णय लिया गया, इसलिए, किसी भी तरह से प्रतिवादी द्वारा लिया गया निर्णय मनमाना, अवैध या दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है, जो प्रतिवादी क्रमांक 3 के पक्ष में हो। बोर्ड कभी भी प्रतिवादी क्रमांक 3 को अनुबंध नहीं देना चाहता था। बोर्ड को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। इस मामले में बोर्ड ने पुनः निविदा करने का निर्णय उन कारणों से लिया है जो तार्किक, न्यायोचित हैं और पूर्व–योग्यता से संबंधित निविदा शर्तों से उत्पन्न हैं।

7) प्रतिवादी क्रमांक 3 ने भी अपना रिटर्न दाखिल किया जिसमें उसने याचिकाकर्ता द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जोरदार खंडन किया।

8) याचिकाकर्ता ने प्रतिउत्तर दाखिल किया और कहा कि प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 ने प्रतिवादी क्रमांक 3 को लाभ पहुंचाने के लिए अनुबंध को फिर से निविदा देने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ता को निविदा सूचना में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ठंडे और गर्म वल्केनाइजिंग द्वारा कार्य निष्पादित करने का अनुभव है और उसने कुल 3.5 करोड़ रुपये का कार्य आदेश निष्पादित किया है। यह भी कहा गया है कि यदि किसी कारण से बोर्ड ठंडी वल्केनाइजिंग के समान प्रकार के कार्य के निष्पादन के अनुभव पर जोर दे रहा है, तो भी याचिकाकर्ता के पास उक्त अनुभव और योग्यता पूरी तरह से है और उसके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण अनुलग्नक पी/10 में दिया गया है।

9) याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के पास याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा और मूल्य बोली को मनमाने ढंग से अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है और न्यायालय के पास इसकी समीक्षा करने का पर्याप्त अधिकार है। इस तर्क का समर्थन करने के लिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने टाटा सेलुलर बनाम भारत संघ, एआईआर 1996 एससी 11 और कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, एआईआर 1991 एससी 537 में रिपोर्ट किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया। टाटा सेलुलर बनाम भारत संघ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि :

"न्यायालय का कर्तव्य स्वयं को वैधता के प्रश्न तक सीमित रखना है। इसकी चिंता यह होनी चाहिए कि,

1. क्या निर्णय लेने वाले प्राधिकारी ने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है?
2. कानून की त्रुटि की है
3. प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया है;
4, ऐसा निर्णय लिया है जिस पर कोई भी उचित न्यायाधिकरण नहीं पहुंच सकता; या
5. अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है।

इसलिए, यह निर्धारित करना न्यायालय का काम नहीं है कि उस नीति की पूर्ति में लिया गया कोई विशेष नीति या कोई विशेष निर्णय उचित है या नहीं। यह केवल इस बात से संबंधित है कि वे निर्णय किस तरह लिए गए हैं। निष्पक्ष रूप से कार्य करने के कर्तव्य की सीमा प्रत्येक मामले में अलग–अलग होगी। संक्षेप में, वे आधार जिनके आधार पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(i) अवैधता: इसका अर्थ है कि निर्णयकर्ता को उस कानून को सही ढंग से समझना चाहिए जो उसके निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है और उसे लागू करना चाहिए ।

(ii) तर्कहीनता, अर्थात् वेडनसबरी अनुचितता ।

(iii) प्रक्रियात्मक अनुचितता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त केवल व्यापक आधार हैं, लेकिन यह समय के साथ अन्य आधारों को जोड़ने की संभावना से इंकार नहीं करता है। (अनुच्छेद 93; 94: 95)

प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा और सरकारी निकायों द्वारा संविदात्मक शक्तियों के प्रयोग के दायरे से संबंधित कटौती योग्य सिद्धांत हैं :

(1)आधुनिक प्रवृत्ति प्रशासनिक कार्रवाई में न्यायिक संयम की ओर इशारा करती है ।

(2)न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है, बल्कि केवल उस तरीके की समीक्षा करता है जिसमें निर्णय लिया गया था ।

(3)न्यायालय के पास प्रशासनिक निर्णय को सही करने की विशेषज्ञता नहीं है, यदि प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की अनुमति दी जाती है तो यह आवश्यक विशेषज्ञता के बिना अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करेगा जो स्वयं गलत हो सकता है ।

(4)निविदा आमंत्रण की शर्तें न्यायिक जांच के लिए खुली नहीं हो सकती हैं क्योंकि निविदा आमंत्रण अनुबंध के दायरे में है। आम तौर पर, निविदा को स्वीकार करने या अनुबंध देने का निर्णय कई स्तरों के माध्यम से बातचीत की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अधिकतर, ऐसे निर्णय विशेषज्ञों द्वारा गुणात्मक रूप से किए जाते हैं ।

(5)सरकार को अनुबंध की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रशासनिक क्षेत्र या अर्ध–प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रशासनिक निकाय के लिए जोड़ों में निष्पक्षता एक आवश्यक सहवर्ती है। हालाँकि, निर्णय को न केवल वेडनसबरी के तर्कसंगतता सिद्धांत (इसके अन्य तथ्यों सहित) के अनुप्रयोग द्वारा परखा जाना चाहिए, बल्कि पक्षपात या दुर्भावना से प्रेरित मनमानी से मुक्त होना चाहिए ।

(6)निर्णयों को रद्द करने से प्रशासन पर भारी प्रशासनिक बोझ पड़ सकता है और इससे बजट से बाहर व्यय में वृद्धि हो सकती है ।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कु. श्रीलेखा विद्यार्थी (सुप्रा) के मामले में माना कि :

"संविदा संबंधी मामलों में राज्य की कार्रवाइयों की संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समीक्षा की जा सकती है।"

याचिकाकर्ता ने पात्रता के संबंध में अपने दावे के समर्थन में रमना दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया है :

"निविदा सूचना में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि "इस हवाई अड्डे पर तीन वर्ष की अवधि के लिए एक द्वितीय श्रेणी रेस्तरां और दो स्नैक बार खोलने और चलाने के लिए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले पंजीकृत द्वितीय श्रेणी होटल व्यवसायियों से निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं ।"

"उचित निर्माण पर नोटिस में यह अपेक्षित था कि केवल पंजीकृत द्वितीय श्रेणी होटल या रेस्तरां चलाने वाला व्यक्ति ही निविदा प्रस्तुत करने के लिए पात्र होना चाहिए और उसे इस तरह का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यह पात्रता की एक शर्त थी और यह देखना मुश्किल है कि यह शर्त किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कैसे पूरी की जा सकती है जिसके पास द्वितीय श्रेणी होटल या रेस्तरां चलाने का पांच वर्ष का अनुभव नहीं है। निर्धारित पात्रता की परीक्षा वस्तुनिष्ठ थी न कि व्यक्तिपरक ।"

10) याचिकाकर्ता द्वारा दायर अनुलग्नक पी/2 निविदा सूचना संख्या 26/2003 है। खंड 1 में निविदा दस्तावेज प्राप्त करने के लिए योग्यता शर्त की परिकल्पना की गई है। इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है :

"1. निविदा दस्तावेज प्राप्त करने के लिए योग्यता शर्तें – निविदा प्रपत्र केवल उन बोलीदाताओं को जारी किया जाएगा जो –

1. पिछले तीन वर्षों के दौरान 1.5 करोड़ रुपये मूल्य के समान कार्य के सफल निष्पादन के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जिसमें 50 लाख रुपये का कम से कम एक एकल ऑर्डर शामिल होना चाहिए ।

तथा

2. ऑर्डर देने वाले प्राधिकारी/संगठन से 'समान प्रकार' के कार्य के लिए ऑर्डर के सफल निष्पादन का प्रमाण प्रस्तुत करेगा, जो निम्न में से कोई भी होना चाहिए :
   - (i) राज्य विद्युत बोर्ड/निगम का थर्मल पावर प्लांट ।
   - (ii) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ।
   - (iii) निजी कंपनियों के स्वामित्व वाले थर्मल पावर प्लांट ।
   - (iv) अन्य सरकारी / अर्धसरकारी संगठन जिनके पास 800 मिमी और उससे अधिक चौड़ाई के कन्वेयर बेल्ट का उपयोग करने वाली सामग्री हैंडलिंग प्रणाली है ।"

11) प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 ने कहा कि निविदा में निर्दिष्ट कार्य के दायरे के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान फर्म यानी याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित आदेशों की सूची/विवरण 1.50 करोड़ रुपये की वांछित पूर्व–योग्यता आवश्यकता के विरुद्ध 63,41,996/– रुपये का है और यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आदेश की जांच करने पर यह पाया गया है कि मेसर्स नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए दिया गया ऑर्डर स्टील कॉर्ड बेल्ट की थ्रू कट से मरम्मत/रीकंडीशनिंग, क्षतिग्रस्त नायलॉन कन्वेयर बेल्ट की थ्रू कट से गर्म वल्केनाइजिंग द्वारा मरम्मत आदि के लिए है, जिसमें गर्म प्रोसेसिंग शामिल है, जबकि हमारा निविदा ठंडी वल्केनाइजिंग प्रक्रिया द्वारा कन्वेयर बेल्ट जॉइनिंग, बेल्ट को बदलने, पुली पर रबर लैगिंग, पैचिंग, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइनिंग आदि के कार्य के लिए है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) याचिकाकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर में उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता को ठंडे और गर्म वल्केनाइजिंग द्वारा सभी निर्धारित कार्यों को निष्पादित करने का अनुभव है और यह भी कहा है कि यदि किसी कारण से बोर्ड ठंडे वल्केनाइजिंग के समान प्रकार के कार्य के अनुभव पर जोर दे रहा है, तो भी याचिकाकर्ता के पास उक्त अनुभव है और इसके समर्थन में उसने अनुलग्नक पी/10 में विवरण दिया है। अनुलग्नक पी/10 में पृष्ठ 5 पर 5,43,000/– रुपए के कार्य आदेश को छोड़कर अन्य कोई आदेश ठंडी वल्केनाइजिंग से संबंधित कार्य आदेश के रूप में नहीं दर्शाया गया है।

13) यह स्पष्ट है कि जब याचिकाकर्ता ने निविदा प्रपत्र प्राप्त किया था, तो उस समय प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के समक्ष अपनी पात्रता को संतुष्ट करने के लिए जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसने पिछले तीन वर्षों में 1.50 करोड़ रुपये मूल्य के ठंडी वल्केनाइजिंग प्रक्रिया कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है, जिसमें 50 लाख रुपये का कम से कम एक एकल कार्य आदेश शामिल है। इसलिए, याचिकाकर्ता निविदा प्रपत्र प्राप्त करने और प्रस्तुत करने के लिए योग्य नहीं था।

14) याचिकाकर्ता का तर्क है कि शर्त के अनुसार समान कार्य की आवश्यकता होती है और उसके अनुसार, गर्म वल्केनाइजिंग प्रक्रिया समान कार्य है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 ने अपने रिटर्न में गर्म और ठंडी वल्केनाइजिंग प्रक्रिया के बीच अंतर किया है। यह भी स्पष्ट है कि गर्म और ठंडा विपरीत छोर हैं और यदि कोई कार्य ठंडी स्थिति में किया जाना है, तो उसे गर्म स्थिति में किए जाने वाले कार्य के बराबर नहीं माना जा सकता है, इसलिए याचिकाकर्ता का यह तर्क कि वह गर्म वल्केनाइजिंग प्रक्रिया द्वारा कन्वेयर बेल्ट को जोड़ने का कार्य कर रहा था, ठंडी वल्केनाइजिंग प्रक्रिया के समान है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा तर्क के दौरान अधिक जोर दिया गया है कि इसकी निविदा को स्वीकार न करने से सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो सकता है और सरकारी खजाने को 42 लाख रुपये का नुकसान हो सकता है। इस तर्क का कोई आधार नहीं है क्योंकि कोई अन्य निविदा स्वीकार नहीं की गई है, लेकिन फिर से निविदा का आदेश निष्पक्ष रूप से दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15) यह स्पष्ट है कि कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोयले की आपूर्ति एक संवेदनशील प्रकृति का कार्य है और कोई भी दोष उत्पादकता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, इसलिए थर्मल प्लांट में किस प्रक्रिया से कन्वेयर बेल्ट को जोड़ना है, यह निर्णय लेना विशेषज्ञों का काम है और उचित और उपयुक्त निविदाकर्ता का चयन करना भी विशेषज्ञों का काम है। यदि उन्होंने ठंडी वल्केनाइजिंग को चुना है और तदनुसार निविदाएं आमंत्रित की हैं, तो प्रतियोगी के पास बोर्ड द्वारा अपेक्षित आवश्यक योग्यता और अनुभव होना आवश्यक है।

16) बेशक, निविदा दाखिल करने की तिथि पर याचिकाकर्ता ने विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए, हालांकि, उन दस्तावेजों के आधार पर याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की ठंडी वल्केनाइजिंग प्रक्रिया द्वारा कन्वेयर बेल्ट जॉइनिंग, बेल्ट का प्रतिस्थापन, पुली पर रबर लैगिंग, पैचिंग, अनुदैर्ध्य जॉइनिंग आदि का काम सफलतापूर्वक किया है, जिसमें 50 लाख रुपये का कम से कम एक एकल ऑर्डर शामिल है। इसलिए, जब याचिकाकर्ता निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का हकदार नहीं था, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह बोली लगाने और निविदा दाखिल करने के लिए योग्य था और जब यह स्पष्ट था कि निविदा दाखिल करने की तिथि पर, याचिकाकर्ता के दस्तावेजों के अनुसार, कोई अपेक्षित योग्यता नहीं होने के कारण वह भाग लेने का

हकदार नहीं था, तो यह नहीं कहा जा सकता कि बोर्ड ने इस आधार पर बोली स्वीकार करने से इनकार करके मनमाना काम किया है।

17) याचिकाकर्ता को भाग लेने का अवसर तब मिलेगा जब बोर्ड द्वारा नए सिरे से निविदा आमंत्रण नोटिस जारी किया जाएगा, यदि उसके पास अपेक्षित योग्यता है।

18) सभी तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, मेरा मत है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने कार्य को पुनः निविदा करने का निर्णय लेने में मनमानी नहीं की है, इसलिए न तो प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा लिए गए निर्णय को किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करके रद्द किया जा सकता है और न ही प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 को याचिकाकर्ता को आक्षेपित कार्य देने के लिए कहा जा सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है। परिणामस्वरूप, एम.डब्ल्यू.पी. संख्या 1658/2004, 142/2005, 1284/2005 और अंतरिम आवेदन संख्या 6153/2004 का निपटारा किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
विजय कुमार श्रीवास्तव
न्यायाधीश
15/06/2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

राजू

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By MS. SAKSHI BALI, ADV.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur